Order Sheet [Contd] _______ ase No 302/2017 बी.ए

Date of Order or proceeding with Signature of presiding Proceeding 3 Signature of Parties or Pleaders where Proceeding 3 अविदक / अभियुक्त संतन्द्र सिंह गुर्जर की ओर से श्री यजवेन्द्र श्रीवास्तव अधिवक्ता। राज्य की ओर से श्री वीवानसिंह गुर्जर अपर लोक अभियोजक। अधीनख्य लेक अभियुक्त की ओर से श्री वीवानसिंह गुर्जर अपर लोक अभियोजक। अधीनख्य लेक अभियुक्त की ओर से अधि श्री यजवेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा प्रथम निर्मित्त कमानत आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 499 जाककी का पेश कर निवेदन किया कि आवेदक / अभियुक्त की ओर से अधि अधि प्रजावन्द्र श्रीवास्तव द्वारा प्रथम निर्मित्त कमानत आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 499 जाककी का पेश कर निवेदन किया के आवेदक निर्दोष है उसके द्वारा कोई अपराध नहीं किया गया है। उसके विरूद्ध इड़ी रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। आवेदक /अभियुक्त दिनांक 0207.2017 से अभिरक्षा मे है, फ्रकरण में अनुसंखान पूर्ण होक अभियोजक ने जमानत को सालत करेगा। अतः आवेदक अभियुक्त जमानत नुम्तक पर छोडे जाने का निवेदन किया है। राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक ने जमानत आवेदनायत्र का विरोध करते हुए आवेदनपत्र निरस्त करने का निवेदन किया है। राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक ने जमानत आवेदन किया है। राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक ने जमानत आवेदन किया है। राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक ने जमानत आवेदन किया गया। आवेदक / अभियुक्त के पितेदन किया है। राज्य की ओर से अपर लोक अधिवक्ता ने इन तर्को पर अव्यलेक किया गया। आवेदक / अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने इन तर्को पर अव्यलेक किया गया। अविदक / अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने इन तर्को पर अव्यलेक किया गया है। प्रकरण में आवेदक / अभियुक्त पर अव्यक्क अभियोक्त्री पिकी का व्यपहरण करने का आरोप है। प्रकरण में आवेदक / अभियुक्त पर अव्यक्त अभियोक्त्री किया का व्यवहरण करनो का अवलोक किया गया है। प्रकरण में आवेदक / अभियुक्त पर अव्यक्त अभियोक्त्री में यह स्थाव करनो ला अवलोक किया गया है। प्रविक्ति से अपरेव के अपरेव की काल करनो ला अवलोक माम लेप निर्मा के गरा विर्मा का अवलोक की काल करनो ला अवलोक किया जाए। तो अभियोकती का आर के अला निर्मा का साथ अपरेव सक्त करनो ला आवेदन करने ला जाए। तो अभियोकती के अपरेव के अला और परिक्त करनो ला अवलोक माम करने पर वह मुस्सा है। पर्ता अपरेव की अपरेव करने ला और परिक्त करनो ला करनी पर		Case No 302,	/ 201 <i>1</i> 91.5
अधीनव्यत की ओर से श्री दीवानसिंह गुर्जर अपर लोक अभियोजक। अधीनव्यत्र की प्रतिक्ष प्रति। अधीनव्यत्र की प्रतिक्ष प्रति। अधीनव्यत्र की प्रतिक्ष प्रति। अधीनव्यत्र की अपर से अधि श्री यजवेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा प्रथम नियमित जमानत आवेदनपत्र अंतर्गत धारा ४३९ आठवेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा प्रथम नियमित जमानत आवेदनपत्र अंतर्गत धारा ४३९ आठाठी का पेश कर निवेदन किया कि आवेदक निर्दाष है उसके द्वारा कोई अपराध नहीं किया गया है। उसके विरुद्ध युद्धी रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। आवेदक /अभियुक्त दिनांक 0207 2017 से अभिरक्षा में है, प्रकरण में अनुसंधान पूर्ण होकर अभियोगपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया जा युका है। आवेदक /अभियुक्त जमानत की समस्त शर्तों का पालन करेगा। अतः आवेदक को उचित जमानत मुचलके पर छोडे जाने का निवेदन किया है। राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक ने जमानत आवेदनपत्र का विरोध करते हुए आवेदनपत्र निरस्त करने का निवेदन किया है। उपरोक्त संबंध में विचार किया गया। केश डायरी का अवलोकन किया गया। आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने इन तर्कों पर अव्यविक वल दिया है कि करियादिया ने न तो धारा 161 जाठकीं के कथनों में की का व्यवहरण करने का आरोप है। प्रकरण में आवेदक /अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता है एसी स्थिति में कोई अपराध न होने की साक्ष्य के बाद भी आरोपी के प्रकरण में खुडा गिरफ्तार किया गया है। प्रकरण में आवेदक /अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता में इस स्वाद किया याया है। प्रकरण में आवेदक /अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता है। एसी स्थिति के व्यवहरण करने का आरोप है। प्रकरण में आवेदक /अभियुक्त के वार 164 जाजकी के कथनों में कहा है कि उसकी आरोपी के प्रकर्ण से आवेदक अपरेपी जा कान देने बाजार जा रही थी, उसी समय उसके माता पिता मिरजद के पास आये गोर अर्थ पक्त पाक्त और अपने साथ ते गए। जबिक यदि अभियोक्ती के धारा 164 जाठकीं के कथनों का अवतोकन किया जाए। जबिक यदि अभियोक्ती का यह कहना रहा है कि कथारों से प्रकर्त किया जोर सक्त माना परिता मिरती का वाद कहन और उसके माना करने पर वह गुस्सा हो गया और इसी बात पर से आवेदक /अभियुक्त ने उसकी मान करने पर वह गुस्सा हो गया और इसी बात पर से आवेदक /अभियुक्त ने उसकी मान करने पर वह गुस्सा हो गया और इसी बात पर से आवेदक /अभियुक्त ने उसकी मान करने पर वह गुस्ती हो स्वार्य करने हमा और उसकी मान करने पर वह गुस्ती हो स्वार्य हो स्वार्य करने स	Order or	Order or proceeding with Signature of presiding	Parties or Pleaders
M		अधिवक्ता। राज्य की ओर से श्री दीवानसिंह गुर्जर अपर लोक अमियोजक। अधीनस्थ जे०एम०एफ०सी० न्यायालय गोहद (सुश्री प्रतिष्ठा अवस्थी) के न्यायालय से प्र०क० 402/17 ई०फौ० (पी.एस. मो वि० सतेन्द्र गुर्जर) का मूल अमिलेख प्राप्त। आवेदक/अमियुक्त की ओर से अधि. श्री यजवेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा प्रथम नियमित जमानत आवेदनपत्र अंतर्गत धारा ४३९ जा०फौ० का पेश कर निवेदन किया कि आवेदक निर्वोष है उसके द्वारा कोई अपराध नहीं किया गया है। उसके विरुद्ध हुटी रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। आवेदक/अभियुक्त दिनांक 02.07.2017 से अभिरक्षा में है, प्रकरण में अनुसंधान पूर्ण होकर अभियोगपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया जा चुका है। आवेदक/अभियुक्त जमानत की समस्त शर्तों का पालन करेगा। अतः आवेदक को उचित जमानत मुचलके पर छोडे जाने का निवेदन किया है। राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक ने जमानत आवेदनपत्र का विरोध करते हुए आवेदनपत्र निरस्त करने का निवेदन किया है। उपरोक्त संबंध में विचार किया गया। केश डायरी का अवलोकन किया गया। अवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने इन तर्कों पर अत्यधिक वल दिया है कि फरियादिया ने न तो धारा 161 जा०फौ० के कथनों में और न ही धारा 164 जा०फौ० के कथनों में और न ही धारा 164 जा०फौ० के कथनों में आवेदक/अभियुक्त पर अवयस्क अभियोक्त्री पिकी का व्यपहरण करने का आरोप है। प्रकरण में आवेदक/अभियुक्त पर अवयस्क अभियोक्त्री पिकी का व्यपहरण करने का आरोप है। यदि अभियोक्त्री पिंकी के धारा 161 जा.फौ. के अंतर्गत अमिलिखित कथनों का अवलोकन किया जाए तो अभियोक्त्री ने अपने कथनों में यह स्पष्ट किया है कि उसकी आरोपी से पहचान है, आरोपी देस स्पन्त कथानों का अवलोकन किया जाए तो अभियोक्त्री के धारा 164 जा०फौ० के कथनों में अह स्पप्ट किया है कि उसकी आरोपी का फोर को बार 164 जा०फौ० के कथनों का अवलोकन किया जाए तो अभियोक्त्री के धारा 164 जा०फौ० के कथनों का अवलोकन किया जाए तो अभियोक्त्री के धारा 164 जा०फौ० के कथनों का अवलोकन किया जाए तो अभियोक्त्री के धारा 164 जा०फौ० के कथनों का अवलोकन किया जाए तो अभियोक्त्री के धारा 164 जा०फौ० के कथनों का अवलोकन किया जाए तो अभियोक्त्री के धारा 164 जा०फौ० कथनों का अवलोकन किया जाए तो अभियोक्त्री के धारा 164 जा०फौ० कथनों से मिलती रहती थी, दिनांक 01.07.17 को जब वह अपने माँ के साथ बसस्ट एड में थी तो उस समय आरोपी उसके साथ वतने साथ वतने की जित करने	

आवेदक / अभियुक्त ने अभियोक्त्री का घटना दिनांक को व्यपहरण किया अथवा नहीं यह गुणदोष का विषय है। अभियुक्त / आवेदक दिनांक 01.07.2017 से न्यायिक निरोध में है, प्रकरण के निराकरण में समय लगने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। अतः प्रकरण की परिस्थितियाँ, उपलब्ध रिकार्ड को देखते हुए आवेदक / अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत नियमित जमानत आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 439 जा०फौ० स्वीकार योग्य होने से स्वीकार कर आदेशित किया जाता है कि वह क्षेत्राधिकारिता रखने वाले न्यायिक मिजस्ट्रेट की संतुष्टि योग्य 30,000 / — रूपए की सक्षम जमानत एवं इतनी राशि का व्यक्तिगत बंधपत्र पेश करे तो उसे इस प्रकरण के अंतिम निराकरण तक नियमित प्रतिभूति पर मुक्त कर दिया जावे।

- 1. आरोपी विचारण के दौरान प्रत्येक पेशों पर उपस्थित रहेगा।
- 2. अभियोजन साक्ष्य को प्रभावित नहीं करेगें।
- 3. प्रकरण के त्वरित निराकरण में सहयोग करेगें।
- जैसा अभियोग है वैसा अपराध नहीं करेगें।
 आदेश की प्रति सहित मूल अभिलेख संबंधित न्यायालय को बापस किया

जावे।

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर रिकार्ड अभिलेखागार भेजा जावे।

(वीरेन्द्र सिंह राजपूत) अपर सत्र न्यायाधीश गोहद जिला– भिण्ड म०प्र०

प्रतिलिपि.

1. जे.एम.एफ.सी. न्यायालय (सुश्री प्रतिष्ठा अवस्थी) गोहद, की ओर से अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित।

> (वीरेन्द्र सिंह राजपूत) अपर सत्र न्यायाधीश गोहद जिला— भिण्ड म0प्र0